INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 12 | JANUARY - 2024

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Ms. Meenakshi
Research Scholar,
Department of Sociology,
Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana (India).

शोध-लेख सार:

प्रस्तुत लघु शोधपत्र भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के बारे में अध्ययन किया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं पर अत्याचार होना कोई नई बात नही है, महिलाओं के प्रति हिंसा लैंगिक संबंधों का एक भाग है जिसमें पुरुष अपने को स्त्री से सर्वोच्चमानता है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएँ पत्नी के साथ भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा वृद्ध स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याओं आदि को शामिल किया गया है। यह समस्या ज्यादा पुरानी नही है, यह तो पिछले कुछ दशकों का परिणाम है। प्रायः यह देखा जाता है कि महिलाएँ परिवार के अन्दर ही कभी पिता, कभी पति द्वारा किसी न किसी रुप में दमन और शोषण का शिकार होती रही है। हमारे देश में यह माना जाता है कि शादी के बाद पति को पत्नी के उपर हाथ उठाने का अधिकार मिल जाता है, परन्तु अब हमारी सवैंधानिक व्यवस्था महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और उसके शोषण के प्रति सचेत हुई है और इसी के परिणामस्वरुप वर्ष2006 में घरेलू हिंसा से'महिला संरक्षण अधिनियम 2005' लागू किया गया।

मुख्य शब्द:- अपराध, बालात्कार, अपहरण, अमानवीय व्यवहार, यौन उत्पीडन, यातना ।

भूमिका:-

अपराध एवं हिंसा एक सार्वभौमिक तथ्य है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा हर देश में मौजूद है। एक महिला जो एक परिवार की मुख्य आधारशिला होती है जो एक नये जीवन को जन्म देती है उसका भरण-पोषण करती है,जो परंपरा की संवाहक है,एक साधन है जिसके माध्यम से संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जिसे सम्मान की दर्ष्टि से देखा जाना चाहिए, वही महिला हिंसा का शिकार होती है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के प्रति अपराध और हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। नारी को सुरक्षा व सुख प्रदान करने के बदले पुरुषों ने स्त्री काअपमान, शोषण और अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार किया है। महिलाएँ न केवल अपने पति की हिंसा का शिकार होती है बल्कि वह अपने परिवार चाहे मायका हो या ससुराल,वहाँ भी उसके साथ गलत ही होता रहा रहा है । परम्परागत रुप से ही महिलाओं को यहसिखाया जाता है कि उन्हे विवाह के बाद कैसे जीवन-यापन करना है, शिक्षा देने की बजाए उन्हे चूल्हे चौके का ज्ञान दिया जाता है,

उन्हे आत्मनिर्भरता,आत्मरक्षा,आत्मसम्मान का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, जिससे उनकी पुरुषों पर निरर्भता बढ़ जाती है। यही से स्त्री-शोषण की शुरुआत होती है। महिलाओं के शक्तिसता और स्थिती संबंधी अधिकार पुरुषों के ही अधीन रहे है और उन्ही द्वारा समाजीकृत होते रहे है। इसलिए **सिमॉन दे बुआ(1988)** ने कहा है, औरते पैदा नही की जाती, बना दी जाती है। परन्तु 21वीं सदी में स्त्री शिक्षा का विकास, पुरुषों के समान कार्य संबंधी अधिकारों नेमहिलाओं की स्थिती को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से ऊँचा उठाया है। सामाजिक दृष्टि से अपराध वह है जो सामाजिक नियमों का उल्लघन है। स्त्री को मानसिक व शारीरिक यतनाएं देना, उसके साथ मारपीट करना, उसका शोषण करना, स्त्रीत्व को नंगा करना, भूखा-प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढाना निश्चित रुप से स्त्री के प्रति अपराध ही कहे जायेगें।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध मानव अधिकारों के खिलाफ एक गंभीर समस्या है। पिछले दो दशकों से ये अपराधिक समस्या वैश्विक रुप से उभर कर सामने आई है। दिन-प्रतिदिन सरकार के महिलाओं संबंधी कानूनों का तोडा जा रहा है। मुख्य रुप से महिलाओं के साथ बालात्कार, दहेज हत्याऐं, छेडछाड, छिटाकंशी जैसे अपराध किये जाते है। इसका अभी एक ताजा उदाहरण दिल्ली में 23 वर्षीय चिकित्यीय छात्रा के साथ अमानवीय सामूहिक बालात्कार की घटना है। दक्षिण ऐशियाई क्षेत्र में, महिलाओं के प्रति हिंसा तब से है जब से उन्होनें जन्म लिया है और जीवन जीना सीखा है।महिलाओं का उनके इच्छा के विरुद्ध गर्भपात किया जाता है। भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान में ध्यान न दियें जाने के कारण हर छठी मृत्यु महिला भ्रूण की होती है। इस क्षेत्र की महिलाओं को पुरुषों के बाद भोजन करना, शिक्षा से दूर रखना, स्वास्थय संबंधी ध्यान न देना, जल्दी शादी के लिए दबाव देना, घर से बाहर कार्य के कम अवसर देना आदि सीमाओं में रहना पडता है। **(Wahed and Bhuiya, 2007)**

ICRW(International Centre for Research on Women,2000) ने भारत के सात शहरों में 1997 से 1999 के बीच 9938 महिलाओं का मिश्रण पद्धति से सर्वेक्षण किया गया। जिसमे पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 9,938 महिलाओं में से लगभग हर चार में से एक(2,596 महिलाएं या 26 प्रतिशत) ने पिछले 12 महीनों में थप्पड़ मारने, लात मारने, मारपीट करने, धमकी देने या हथियार का इस्तेमाल करने का अनुभव किया था। अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय संदर्भ में वैवाहिक घर में अनुभव की जाने वाली घरेलू हिंसा चार दीवारों के बीच पूरी तरह सेछिपी हुई बात नहीं है। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि हिंसा की उपस्थिति अक्सर जानी-पहचानी और स्वीकार्य होती है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाली आधी से अधिक महिलाओं (58 प्रतिशत) ने कहा कि उनके तत्काल परिवार के सदस्यों (जन्मजात और वैवाहिक दोनों) को हिंसा के बारे में पता था। इसके अलावा, 41 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि पड़ोसियों को भी हिंसा के बारे में पता था। 55 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने बताया कि वे हिंसा को विवाह का एक सामान्य हिस्सा मानती हैं।

राम आहुजा (1987) ने महिला के प्रति अपराधों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है - 1. अपराधिक हिंसा, 2. घरेलू हिंसा और 3. सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा है जो कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रवृति के कारण किये जाते है जैसे- बालात्कार, अपहरण तथा हत्या आदि। दूसरी श्रेणी में परिवारों में महिलाओं के साथ किये जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीडन को शामिल किया है जैसे- दहेज हत्याएँ , पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार आदि। तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है जिसमें पत्नी,बहु को भ्रूणहत्या के लिये विवश करने, छेड़छाड, युवा विधवाओं को सती के लिये विवश करना, सम्पत्ति में हिस्सा न देना, दहेज के लिद उत्पीडीत करना आदि को सम्मलित किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के प्रति अपराधों का एक अध्ययन है जिसमें घरेलू हिंसा संबंधित द्वैतियक आंकडे एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है और इन अपराधों के कारकों एंव प्रकारों का भी अध्ययन किया है।

घरेलू हिंसा का अर्थ-

आज महिलाओं के प्रति हिंसा ही नही बढ रही है बल्कि घरेलू हिंसा में उससे भी ज्यादा वृद्धि हो रही है**सोनल 1986** का कहना है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना चाहिये। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं,पत्नी के साथ भावात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा वृद्ध स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याओं आदि को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ1993 के अनुसार कोई भी लिंग आधारित हिंसा जिसके परिणामस्वरुप उसका शारीरिक, यौनिक और मानसिक शोषण हुआ हो उसे स्त्री के पगति अपराध माना जाता है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को निम्न तरीके से समझा जा सकता है

1. **दहेज हत्याएँ** - भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है और इसके कारण यह एक गंभीर समस्या है। राम आहुजा, 1987, इसके संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दिये है- 1. मध्यम वर्ग की स्त्रियों में दहेज हत्याएँ निम्न व उच्च वर्ग की तुलना में कहीं अधिक होती है। 2. 70.0 प्रतिशत दहेज हत्याओं का शिकार स्त्रियॉ21 सं 24 वर्ष आयु की होती है। 3. दहेज हत्या एक उच्च जाति की समस्या है न कि निम्न जाति की। 4. दहेज हत्या से पहले दुल्हनों को अनेक प्रकार से उत्पीडीत किसा जाता है। 5. समाजशास्त्रीय दृष्टि से पर्यावरणीय दबाव अथवा सामाजिक तनाव दहेज हत्याओं का प्रमुख प्रेरक कारक है।6. दुल्हन को जिंदा जला देने के मामलों में परिवार की रचना प्रमुख भूमिका निभाती है। 7. दुल्हनकी शिक्षा और दहेज हत्या में कोई संबंध नही है।
2. **भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार- न्यायमूर्ति डॉ. पी. वेनूगोपाल, 2001**, ने इसको घरेलू हिंसा का प्रमुख आधार बताया है। यदि पति अन्य लागों की उपस्थिती में पत्नी का अपमान करता है, उससे काम का लेखा-जोखा मांगता है तथा किसी अन्य पुरुष के साथ उसके यौन संबंध के संदेह में उसकी अवमानना करता है तो इसं भावात्मक दुर्व्यवहार कहा जायेगा। लैंगिक दुर्व्यवहार से अभिप्राय पत्नी के साथ यौन संबंधी कार्ये हेतु उसकी इच्छा ा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करना है।
3. **पत्नी को पीटना**- भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है ये घटनाये अधिकतर नशे में ही की जाती है। **राम आहूजा, 1987,** ने 60 स्त्रियों के आंकडे एकत्रित करके निम्न विश्लेषण किया-1.25 वर्ष से कम पत्नियाँ पति द्वारा मारपीट का अधिक शिकार होती है। 2. जो पत्नियॉ पति से आयुमें पॉ च या अधिक वर्ष छोटी है उनकी मार-पिटाई की सम्भावना अधिक होती है। 3. यह मुख्यतः निम्न आय वाले परिवारों में पाया जाता है। 4. परिवार के आकार व रचना का पत्नी को पीटने से कोई संबंध नही है।5. पति द्वारा पिटने से कोई गंभीर चोटें नही पहुंचती।6. यौन संबंधीअसामंजस्य, भावात्मक अशांति, पति का अत्यधिक अह्म, पति की मद्यपानता, ईष्या तथा पत्नी की निष्क्रियता व बुजदिली पत्नी के साथ मार पिटाई के प्रमुख कारण हैं। 7. अशिक्षित स्त्रियों से ऐसा दुर्व्यवहार अधिक होता है।
4. **विधवाओं पर अत्याचार**- स्त्री के लिए वैधव्य सबसे भयानक शब्द है। सूनी मांग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। समाज से तिरस्कृत होने के बाद अधिकतर विधवाएं वेश्यालयों तक भी पहुंच जाती है। राम आहुजा ने विधवाओं के प्रति हिंसा के निम्न कारण बताये है- 1. मध्यम वर्ग की विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान शोषण होता है। 2. विधवाओं पर हिंसा को बढावा देने वाले व्यक्ति पति पक्ष के ही सदस्य होते है।3. आयु, शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से सहसंबंधित है परन्तु परिवार की रचना तथा आकार का इससे कोई सहसंबंध नही है।
5. **स्त्री हत्या एवं भ्रूण हत्या बारबरा डी. मिलर, 1987,** ने लिखा है कि स्त्री शिशु हत्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो रुपों में हो सकती है। प्रत्यक्ष रुप में तो मारने-पीटने से, जहर देकर या गला घोटने से हत्या होती है जबकि अप्रत्यक्ष रुप से उनके लालन पालन, पोषण अथवा देखभाल की अपेक्षा उन्हें मारने का प्रयत्न किया जाता है। अब तो एक नया

तरीका गर्भ में लिंग निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसे एमिनियोसेंटसिस कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लडका है या लडकी, और फिर लोग गर्भपात करा लेते है। अतः जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है। बाल विवाह भी कभी-कभी संस्कार के रुप में स्त्री की हत्या ही है। **नीना कपूर 1987** ने ऐसे उदाहरण दिये है जहां बाल उम्र में विवाह होने से पति द्वारा यौन क्रिया के कारण स्त्री की मृत्यु हो जाती है।

भारतीय संविधान की धारा 14, 15 और 21 के आधार पर महिलाओं के बचाव के लिए 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया। **हेजे 1994**, ने अपने शोध में वर्तमान में घरेलू हिंसा के निम्न कारकों का वर्णन किया-

1. **सांस्कृतिक**- इसमें उन्होनें लिंग आधारित सामाजीकरण, सांस्कृतिक आधारित लैंगिक भूमिकाए, पुरुषों का अपने को सर्वोच्च मानना, विवाह के रिवाज आदि।
2. **आर्थिक**- आर्थिक रुप से महिलाओं का पुरुषों पर निर्भर होना, संपति संबंधी अधिकारों का न होना, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी अभाव आदि।
3. **विधीक** - कानून में महिलाओ को कम अधिकार, कानून संबंधी शिक्षा का अभाव आदि।
4. **राजनैतिक** - राजनीति मे कम सहभागिता, महिलाओं के सीमित राजनैतिक संगठन आदि।

महिलाओं के प्रति अपराधों का वर्गीकरण-

महिलाओं के प्रति अपराधों को मुख्य रुप से दो भागों में बांटा जा सकता है

1. भारतीय दण्ड संहिता में अपराध –

क.सं.	अपराध	धारा
1.	बलात्कार	376
2	अपहरण	363–373
3	दहेज हत्या	302 / 304
4	यातना– मानसिक और शारीरिक	498–ए
5	छेडछाड़	354
6	यौन उत्पीडन	509
7	लडकी का आयात–निर्यात (21 वर्ष तक)	366–बी

2. विशिष्ट एवं स्थानीय कानून में अपराध-

अ. अनैतिक ट्रफिक एक्ट, 1956

ब. दहेज निराधक एक्ट, 1961

स. महिला अश्लील प्रतिनिधित्व एक्टए 1986

द. सती कमीशन एक्ट, 1987

महिलाओं के प्रति हिंसाः–

महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के माध्यम से उपलब्ध हैं, संकेत देते हैं कि भारत के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का स्तर बहुत अधिक है। इनमें बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, मानसिक और शारीरिक यातना, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और तस्करी शामिल हैं।

हिंसा का प्रकार	2006-2014 तक महिलाओं के प्रति पंजीकृत अपराधों की संख्य								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
बलात्कार	19348	20737	21467	21397	22172	24206	24923	33707	36735
अपहरण	17414	20416	22939	25741	29795	35565	38262	51881	57311
दहेज हत्या	7618	8093	8172	8383	8391	8618	8233	8083	8455
यातना	63128	75930	81344	89546	94041	99135	106527	118866	122877
छेड़छाड़	36617	38734	40413	38711	40613	42968	45351	70739	82235
यौन उत्पीड़न (धारा 509)	9956	10950	12214	11009	9961	8570	9173	12589	9735
सती बचाव ऐक्ट,1987	——	——	01	——	——	01	——	——	——
अनैतिक व्यवहार	4541	3568	2659	2474	2499	2435	2563	2579	2070
दहेज निरोधक कानून,1961	4504	5623	5555	5650	5182	6619	9038	10709	10050
महिला अश्लील प्रतिनिधित्व एक्ट, 1986	1562	1200	1025	845	895	453	141	362	47
कुल	164765	185312	19586	203804	213585	228570	244211	309515	329515

हिंसा का प्रकार	2015-2021 तक महिलाओं के प्रति पंजीकृत अपराधों की संख्य						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
बलात्कार	34651	38947	32559	33356	32033	28046	31677
अपहरण	59277	64519	66333	72751	72780	62300	75369
दहेज हत्या	7634	7621	7466	7166	7115	6966	6753
यातना	113403	110378	104551	103272	125298	111549	136234
छेड़छाड़ +	82422	84746	86001	89097	88367	85392	89200
यौन उत्पीड़न	8685	7305	7451	6992	6939	7065	7788
सती बचाव एक्ट,1987	_ _	——		——	——	——	——
अनैतिक व्यवहार	2424	2214	1536	1459	1185	868	1071
दहेज निरोधक कानून,1961	9894	9683	10189	12826	13297	10366	13568
महिला अश्लील प्रतिनिधित्व एक्ट,1986	40	38	25	22	23	12	28
कुल	309745	325448	316111	326941	347037	312564	361564

स्त्रोत: राष्ट्रीय आपराधिक रिकार्ड ब्यूरो 2006-2021

प्रस्तुत सारणी महिलाओं के प्रति हिंसा के2006 से 2021 तक के आंकडो को प्रदर्शित करती है, जिसमें पाया गया कि बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, यातनाओं, छेडछाड़, और दहेज संबंधी केसों में वृद्वि हुई है जबकि यौन उत्पीडन, अनैतीक व्यवहार और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व संबंधी अपराधों में कमी आई है और कुल अपराधों की संख्या में भी वृद्वि हुई है जो कि 2010 में अपराधों की संख्या 213585 थी और 2021 में 361564 है। जिस प्रकार समय के साथ नई

टेक्नॉलॉजी विकसित होती जा रही उसी तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध के नए रूप सामने आए है। अनलाइन तस्करी, ऑनलाइन उत्पीड़न,साइबर स्टॉकिंग जैसी डिजिटल हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं संबंधी अपराधों का ग्राफ बढता जा रहा है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसमें मुख्य रुप से घरेलू हिंसा में। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर इसका मुख्य कारण महिलाओं में शिक्षा की कमी अपने अधिकारों का न मालूम होना, पुरुष वर्ग का वर्चस्व, सांस्कृतिक समाजीकरण, परम्परागत रीतियां, महिला संगठनो का अभाव और कानूनों का सही ढंग से लागू न होना आदि है। परन्तुअब पिछले दशक से इनके अधिकारों में वृद्धि की गई है। महिलाएँ अब शिक्षा ग्रहण कर रही है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज ऊठा रही है। लेकिन कुछ महिलाएँ शिक्षित होते हुए भी अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इस डर से आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती है कि समाज उसे किस नजरिए से देखेगा। आधुनिकीकरण के चलते लोगों के रहन–सहन में, रीति-रिवाजों में,कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन जरूर हुआ है परंतु कही न कही लोगों की सोच अभी तक इतनी विकसित नहीं हो पायी है। पश्चिमीकरण के प्रभाव में कपड़े पहननें के तरीके में परिवर्तन हुआ है,पर सोच पर अभी भी वो पुराना पर्दा लगा हुआ है जो अभी भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे सका है जिसकी वो हकदार है जो महिला किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार है समाज उसका अभी भी साथ देने में असमर्थ हैं। जिस तरह से हमारे के रहन- सहन के ,खान-पान के,संपर्क के तरीके बदले है उसी तरह हमें अपनी सोच,अपने नजरिए को को भी बदलने की जरूरत है,अपने घर-परिवार की बेटियों को आतमनिर्भर की शिक्षा देने की जरूरत है,गलत को न सहन कर उसके खिलाफ आवाज उठाए ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है।

संदर्भ सूची

1. Barbara D. Miller, Mainstream, vol. XXIII, No 30, March 23, 1985, pp. 13
2. Neena Kapoor, Seminar, No. 331, March 1987, p. 31
3. Simone de Beauvior "The Second Sex", Picador, 1988 Part-1 pp 35
4. Ram Ahuja, Social Problem in India, Rawat Publications, Jaipur, 1987 pp 213
5. Ram Ahuja, Crime Against Women, Rawat Publications, Jaipur, 1987
6. 6.Sonal, Savvy, Oct. 1986, pp.-47
7. P.Venugopal, Different Forms of Violence and Harassment against Women, in Indian Journal of Criminology, Vol. 29(I&II), January and July 2001, p-1-7
8. Wahed Tania and Bhuiya Abbas, Battered Bodies and Shattered Minds: Violence against Women in Bangladesh, Indian Journal of Medical Research, 2007
9. Heise Pitanguy and Germain, Violence against women: The Hidden Health Burden, World Bank Discussion Paper, Washington, 1994
10. National Crime Records Bureau, Crime in India, 2012
11. UNICEF, Domestic Violence against Women an Analytical Approach, South Asian Journal of Human Rights, 2011
12. Sheela Saravanan, Violence against Women in India, Institute of Social Studies Trust, 2000
13. www.ncrb.nic.in
14. Karlekar M., Domestic Violence, Economic and Political Weekly, 1998
15. Mahajan and Mahajan, Indian Society: Issues and Problems, Vivek Parkashan, Delhi, 2010

16. https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Domestic-Violence-in-India-3-A-Summary-Report-of-a-Multi-Site-Household-Survey.pdf
17. hires research institute, kochi. Page no. 1 to 11.